राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 741/2012/अजमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत, अजमेर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड,
ब्यावर, अजमेर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05/03/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 198/10–11/सीएसटी/ब्यावर में पारित आदेश दिनांक 21.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) एवं धारा 33 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.10.2010 के तहत् प्रस्तुत अपील को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 का मूल कर निर्धारण दिनांक 27.09.2010 को किया गया। व्यवसायी की अन्तर्राज्यीय बिक्री 3% पर की है जिसमें 72,43,246/– बिक्री के समर्थन में फॉर्म 'सी' प्रस्तुत नहीं किये व शेष राशि के ही फॉर्म प्रस्तुत कर दिए गए हैं। फॉर्म से समर्थित बिक्री पर 3% से करारोपण किया गया तथा फॉर्म के अभाव में 72,43,246/– की बिक्री पर 9.50% से अन्तर कर रूपये 6,88,108/– एवं ब्याज रूपये 2,14,237/– का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 21.11.2011 द्वारा देय सब्सिडी की नियमानुसार गणना करते हुए कर व ब्याज की गणना करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की गई जिस अन्तर्राज्यीय बिक्री में 'सी' फार्म प्रस्तुत किये गये उनमें 3 प्रतिशत से ही कर का आरोपण किया गया है, परन्तु जिस अन्तर्राज्यीय बिक्री में 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किये गये है उस बिक्री के लिए नियमानुसार 9.5 प्रतिशत से कर देय होगा। आगे

लगातार.....2

उन्होनें कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के बजट आवंटन के अभाव में सब्सिडी समायोजन का लाभ नहीं दिया गया था, परन्तु उक्त बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का निर्णय दिनांक 11.10.2011 के अनुसार उक्त सब्सिडी स्वीकार कर दी गई थी। अतः इसका लाभ प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिया जावे। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 27.09.2010 को कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की घोषित बिक्री पर 3 प्रतिशत एवं अघोषित बिक्री पर 9.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया, एवं कर जमा में देरी पर ब्याज का आरोपण किया गया। परन्तु उक्त बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का निर्णय दिनांक 11.10.2011 के अनुसार उक्त सब्सिडी स्वीकार कर दी गई थी। इस पर अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2011 द्वारा उक्त प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया, जिसकी पालना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 18.04.2012 को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। अतः इस बिन्दु पर कर बोर्ड में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही है। फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से **खारिज (Infructuous)** की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य